

शासनादेश संख्या-1115/वि0अनु0-3/2003, दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 का अनुलग्नक

अवकाश यात्रा सुविधा हेतु आवेदन-प्रपत्र

- 1- आवेदक का नाम -
- 2- पदनाम -
- 3- विभाग/कार्यालय -
- 4- मूल वेतन(जो इस समय मिल रहा हो)-
- 5- स्थायी/अस्थायी(पदनाम सहित)-
- 6- सेवा प्रारम्भ करने का दिनांक-
- 7- इससे पूर्व उपभोग की गई अवकाश यात्रा सुविधा का पूर्ण विवरण, यदि कोई हो (आदेश संख्या एवं दिनांक)-
- 8- ग्रीन कार्ड धारक होने की दशा में:-
 - (1) क्या वर्तमान आवेदित सुविधा अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा के रूप में चाहते हैं/चाहती हैं
 - (2) यदि हां, तो किस अवधि का
- 9- प्रस्तावित यात्रा का पूर्ण विवरण:-
 - (1) मुख्यालय से.....तक जाने तथा.....से मुख्यालय वापस
 - (2) दिनांक.....से.....तक की अवधि हेतु
- 10- प्रस्तावित यात्रा में जाने वाले परिवार के सदस्यों का विवरण:-

क्र० सं०	नाम	सम्बन्ध	आयु	विवहित/अविवाहित	किसी सेवा में हों तो पूर्ण विवरण
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

- 11- गन्तव्य स्थान का नाम जहाँ यात्रा की जानी है
 - (1) दूरी कि०मी० में (जाना-आना)
 - (2) किराया समस्त सदस्यों सहित (जाना-आना)
 - (3) यात्रा हेतु आवेदित अग्रिम की धनराशि
- 12- प्रस्तावित यात्रा के लिए अर्जित अवकाश हेतु आवेदन करने की तिथि
- 13- पति/पत्नी दोनो सरकारी सेवक होने अथवा दोनों को अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होने की दशा में:-
 - (क) पति/पत्नी का नाम
 - (ख) पदनाम
 - (घ) अवकाश यात्रा सुविधा हेतु विकल्प
 - (ङ) पति/पत्नी द्वारा पूर्व में लिये गये अवकाश यात्रा सुविधा का आदेश संख्या व दिनांक
 - (च) यदि सुविधा नहीं ली गई हो तो संबंधित कार्यालय/विभाग का प्रमाण-पत्र.....

- 14- अस्थाई कर्मचारी को जमानत देने वाले कर्मचारी के
(1) हस्ताक्षर.....(2) नाम.....
(3) पदनाम तथा विभाग

घोषण प्रमाण-पत्र

- 1- उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी में सत्य हैं।
- 2- प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अवकाश यात्रा सुविधा के संबंध में इससे पूर्व इस ब्लाक अवधि में अपने तथा परिवार के संबंध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।
- 3- मेरा परिवार जिसके लिए उपरोक्त सुविधा स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, पूर्णरूप से मेरे ऊपर आश्रित हैं।
- 4- मेरी पत्नी/मेरे पति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है/कार्यरत हैं और उन्होंने स्वयं अपने तथा परिवार के लिये इस ब्लाक अवधि में पृथक से अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं किया है और न ही करेंगी/करेंगे (कार्यरत होने की दशा में आवश्यक प्रमाण-पत्र सहित)
- 5- प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति जिसके लिए अवकाश यात्रा सुविधा का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है (भारत सरकार/रेलवे विभाग/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर अण्डर टेकिंग /निगम /स्वशासी संस्था आदि का नाम) में कार्यरत हैं जहाँ अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य है, परन्तु उनके द्वारा इस ब्लाक अवधि में अपने सेवायोजक को इस संबंध में न तो कोई दावा प्रस्तुत किया है और न प्रस्तुत किया जायेगा।

(आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है)

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर.....

नाम तथा पदनाम.....

अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति/संस्तुति

.....
.....

दिनांक.....